रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 838] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932

No. 838] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISHAKHA 14, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2010

का.आ. 1003(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ;

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 87 में,-

(i) उपनियम (1) में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2) और उपनियम (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, स्मार्ट कार्ड में जारी किए जाने की दशा में प्रत्येक प्राधिकार पत्र प्ररूप 23क में अनुदत्त किया जाएगा या यदि प्राधिकार पत्र कागजी दस्तावेज प्रकार के होने की दशा में है तो प्ररूप 47 में संपूर्ण भारत क्षेत्र में प्रचालन के लिए प्रदत्त परमिट के लिए राष्ट्रीय परमिट खाते में समेकित फीस रुपए पंद्रह इजार के संदाय के अधीन होगा ;

(2क) इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 12 में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित यथाविनिर्दिष्ट आनुपातिक आधार पर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य राष्ट्रीय परमिट खाते में जमा समेकित फीस वितरित होगी ।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) और उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय परमिट खाते से केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित कोई खाता अभिप्रेत है ।" ।

3. उक्त नियम के प्ररूप 23-क में,-

(i) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. .... तक (दिन-मास-वर्ष) गृह राज्य में संदत्त कर";

(ii) क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"26. प्राधिकार के ब्यौरे":

पर्यटन परमिट के लिए :

राज्य (केवल कोड)...................................... प्राधिकार सं.......................... (दिन-मास-वर्ष में) से विधिमान्यता .... (दिन-मास-वर्ष में) तक विधिमान्यता, बैंक ड्राफ्ट रकम ...., बैंक ड्राफ्ट सं. ...., बैंक (केवल कोड) .... बैंक ...., ड्राफ्ट जारी करने की तारीख (दिन-मास-वर्ष में) ।

राष्ट्रीय परमिट के लिए (संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन के लिए विधिमान्य) :--

प्राधिकार सं. .... (दिन-मास-वर्ष में) से विधिमान्यता .... (दिन-मास-वर्ष में) तक विधिमान्यता, विशिष्ट रसीद सं. ...., रसीद की तारीख(दिन-मास-वर्ष में) .... बैंक (केवल कोड) .... शाखा............................) ।

4. उक्त नियमों के प्ररूप 46 में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"13. (क) पर्यटन परमिट के लिए :

मैं/हम प्राधिकार फीस के संदाय के मद्दे बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं जिसका/जिसके विवरण निम्नलिखित हैं (पर्यटन परमिट की दशा में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	संदत्त रकम	बैंक ड्राफ्ट की विशिष्टियां और तारीख	संदाय की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) राष्ट्रीय परमिट के लिए :

मैं/हम वर्ष .... (वर्ष-वर्ष) के लिए राष्ट्रीय परमिट के लिए समेकित फीस के लिए रुपए 15000/- का संदाय की रसीद संलग्न कर रहा हूं/कर रहे हैं ।" ।

5. उक्त नियमों के प्ररूप 47 में उपशीर्ष "समिश्र फीस/कर के संदाय का प्रमाणपत्र" के अधीन सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

सम्मिश्र फीस/करों के संदाय का प्रमाण-पत्र (पर्यटक परमिट के लिए)

क्रम सं0	राज्यों का नाम जिनके लिए संदाय किया गया	संदत्त रकम रु0 पै0	बैंक ड्राफ्ट का संख्यांक और तारीख तथा बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति की तारीख	को संदेय	अवधि जिसके लिए संदत्त किया गया	यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न	प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय परमिट धारक ने पावती संख्यांक.....................तारीख......... ....द्वारा 15000 रु0 की समेकित फीस संदत्त कर दी है " ।

6. उक्त नियमों में, उपाबंध 11 के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"उपाबंध-12
[नियम 87 देखें]

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मध्य समेकित फीस के वितरण के लिए विशिष्टि निम्नानुसार होगी :--

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिशत भाग = (आधार वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल समेकित फीस X 100) / (आधार वर्ष में जहां राष्ट्रीय परमिट प्रचालन में है राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्राप्त कुल समेकित फीस)

टिप्पण : आधार वर्ष अंतिम तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 का औसत होगा ।

राष्ट्रीय परमिट पर समेकित फीस का प्रतिशत भाग		
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्रतिशत भाग	15000/- रु0 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों का भाग (निकटतम रुपये तक पूर्णांकित)
आंध्र प्रदेश	4.838	726
अरुणाचल प्रदेश	0.107	16
असम	1.430	215
बिहार	4.327	649
चंडीगढ़	1.209	181
छत्तीसगढ़	1.845	277
दादरा और नागर हवेली	0.445	67
दमण और दीव	0.470	70
दिल्ली	3.977	597
गोवा	0.719	108
गुजरात	7.023	1053
हरियाणा	5.353	803
हिमाचल प्रदेश	1.789	268
जम्मू-कश्मीर	0.532	80
झारखंड	0.354	53
कर्नाटक	7.257	1089
केरल	2.611	392
मध्य प्रदेश	9.819	1473
महाराष्ट्र	10.508	1576
मणिपुर	0.107	16
मेघालय	0.107	16
मिजोरम	0.026	4
नागालैंड	0.096	14
उड़ीसा	2.947	446
पंजाब	3.652	548
पुडुचेरी	0.997	150
राजस्थान	8.127	1219
सिक्किम	0.107	16
तमिलनाडु	3.112	467

त्रिपुरा	0.080	12
उत्तराखंड	1.790	268
उत्तर प्रदेश	10.497	1574
पश्चिमी बंगाल	3.716	557
कुल योग	**100.000**	**15000**

[फा. सं. आर टी-11036/10/2010-एम वी एल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्यांक सा.का.नि.590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि.148(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2010

S.O. 1003(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by sub-section (14) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby.

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Department of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 87,-

(i) in sub-rule (1), for the words "rupees five hundred", the words "rupees one thousand" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2)and sub-rule (2A), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(2) Every authorisation shall be granted in Form 23 A, in case the certificate of registration is issued on Smart Card or in Form 47, in case the authorisation is in paper document, subject to payment of a consolidated fee of rupees fifteen thousand per annum to be deposited in the national permit account for the permit granted to operate throughout the territory of India;

(2A) the consolidated fee deposited in the national permit account shall be distributed among the States and Union territories on pro rata basis as per the specification provided in Annexure-XII appended to these rules.

Explanation.- For the purposes of sub-rule (2) and sub-rule (2A) the national permit account means an account established by the Central Government with the approval of Reserve Bank of India and notified in the Official Gazette.".

3. In the said rules, in Form 23-A,-

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" 7. Home State tax paid upto (In dd-mm-yyyy)";

(ii) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"26. Authorisation Details":

For Tourist Permit:

State (Code only) ...., Authorisation Number ...., Validity from (In dd-mm-yyyy) ...., Validity upto (In dd-mm-yyyy) ...., Bank Draft Amount ....Bank Draft Number ....Bank (Code only) ....,Bank Draft Issue Date (In dd-mm-yyyy).......................

For National Permit (valid for operation throughout the territory of India):-

Authorisation Number ...., Validity from (In dd-mm-yyyy) ...., Validity upto (In dd-mm-yyyy) ...., Amount paid .... unique receipt number.................receipt date (In dd-mm-yyyy) ...., Bank (Code only) ...., Branch.......................

4. In the said rules, in Form 46, for serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"13. (a) For Tourist Permit:

I/We enclose bank draft(s) as described hereunder towards payment of the authorisation fee (in case of tourist permit)

S.No.	*Name of the States*	*Amount paid*	*Particulars of bank draft(s) and date*	*Date of payment*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(b) For National Permit:

I/We enclose the receipt towards payment of Rs. 15000/- as consolidated fee for National Permit for the year .... (yyyy-yy)".

5. In the said rules, in Form 47, under the sub-heading "CERTIFICATE OF COMPOSITE FEE/TAXES", for the table and the entries therein, the following shall be substituted, namely:-

Certificate of payment of composite fee/taxes (for tourist permit)

S.No.	Name of the States for which payment made	Amount paid Rs. P.	No. and date of bank draft and name of bank	Date of receipt of bank draft	Payable to	Period for which paid	Registration mark of the vehicle	Signature and seal of the authority
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Certified that the National Permit holder has paid the consolidated fee of Rs. 15000 vide receipt number................ dated............. ".

6. In the said rules, after Annexure XI, the following Annexure shall be added, namely:-

"ANNEXURE-XII
[See rule 87]

The specification for distribution of the consolidated fee among the States/Union territories shall be as under:-

$$\text{Percentage share of } n^{th} \text{ State/Union territory} = \frac{\text{total consolidated fee received by } n^{th} \text{ State/Union territory in the base year}}{\text{total consolidated fee received by all the States/Union territories in the base year where national permit is in operation}} \times 100$$

Note: The base year shall be the average of the latest three years i.e., 2007-08, 2008-09 and 2009-10.

Percentage share of consolidated fee on national permit

STATE/ UNION TERRITORY	Percentage Share	Share of the State/Union territories in Rs.15,000/- (Rounded up to nearest Rupee)
Andhra Pradesh	4.838	726
Arunachal Pradesh	0.107	16
Assam	1.430	215
Bihar	4.327	649
Chandigarh	1.209	181
Chhattisgarh	1.845	277
Dadra & NH	0.445	67
Daman & Diu	0.470	70
Delhi	3.977	597
Goa	0.719	108
Gujarat	7.023	1053
Haryana	5.353	803
Himachal Pradesh	1.789	268
Jammu & Kashmir	0.532	80
Jharkhand	0.354	53
Karnataka	7.257	1089
Kerala	2.611	392
Madhya Pradesh	9.819	1473

Maharashtra	10.508	1576
Manipur	0.107	16
Meghalaya	0.107	16
Mizoram	0.026	4
Nagaland	0.096	14
Orissa	2.974	446
Punjab	3.652	548
Puducherry	0.997	150
Rajasthan	8.127	1219
Sikkim	0.107	16
Tamil Nadu	3.112	467
Tripura	0.080	12
Uttarakhand	1.790	268
Uttar Pradesh	10.497	1574
West Bengal	3.716	557
Grand Total	**100.000**	**15000**

[F. No. RT-11036/10/2010-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 148 (E), dated the 4th March, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.